दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

# न्यायालय माननीय अध्यक्ष/सदस्य म0प्र0राजस्व मण्डल

## ग्वालियर सर्किट केम्प भोपाल.

नि-2874-PBR/16 प्रकरण कमॉक- /2016-17

दीनदयाल पुत्र दौलतरात
जाति-ब्राहम्ण निवासी-ग्राम-बकानिया
तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0
**कृषक-ग्राम-खोरी** तहसील हुजूर
जिला भोपाल म0प्र0 .................................... आवेदक

विरूद्ध

1- श्रीमति इन्द्रा त्रिवेदी पत्नि आर.पी
त्रिवेदी निवासी-म.नं. 26, बैरागढ कलां
भोपाल म0प्र0।
2- पवित्रा बाई पुत्री हरिनारायण
3- नन्नू लाल आ0 लालजीराम धाकड
4- शिवचरण आ0 नन्नूलाल मीना
निवासी-ग्राम- खौरी
तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0
5- अशोंक कुमार आ0 प्रेमनाराण
निवासी-ग्राम-बकानिया
तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0
6 हुकुम सिंह आ0 पन्ना लाल
निवासी-ग्राम-बकानिया
तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0
7- घीसीबाई पत्नि उमराव सिंह
निवासी-ग्राम- खौरी
तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0................................ अनावेदकगण

**मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा-50 के अन्तर्गत निगरानी.**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से विद्वान राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा उनके प्रकरण कमॉक-44/अ-12/14-15 में पारित आदेश दिनॉक-07-12-2015 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2874-PBR/16 जिला - भोपाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 28-8-2019 | प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील हुज़ूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-12-2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील हुज़ूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है ।<br><br>कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 21-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों ।<br><br>अध्यक्ष | |